



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941

No. 709]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(केन्द्रीय बाँयलर्स बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 898(अ).—विनियमों के निम्नलिखित प्रारूप को, भारतीय बाँयलर विनियम, 1950 का संशोधन करने के लिए, जिसे केंद्रीय बाँयलर्स बोर्ड, बाँयलर अधिनियम, 1923(1923 का 5) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 31 उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय बाँयलर्स बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, तो सचिव, केंद्रीय बाँयलर्स बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग), कमरा सं. 358, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर भेजे या tsg.narayannen@nic.in पर मेल किये जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों को भारतीय बाँयलर (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र के अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में, विनियम 1 में, उप-विनियम (2) को, निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(2) इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा।”

[फा. सं. पी-30014/5/2019-वायलर्स]

टी. एस. जी. नारायणन, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र में का.आ. संख्या 600, तारीख 15 सितम्बर, 1950 को प्रकाशित किये गए थे और सा.का.नि. 427(अ), तारीख 2 मई, 2017 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and internal Trade)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

G.S.R. 898(E).—The following draft regulations to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date the Gazette containing the publication of this notification is made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), Room No. 358, Udyog Bhawan, New Delhi- 110 011 or sent by email (tsg.narayannen@nic.in) within the period specified above.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 1, for sub- regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) They shall extend to the whole of India.”.

[F. No. P-30014/5/2019-Boilers]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* G.S.R. 427(E), dated the 2nd May, 2017.